WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

FORM NO. RSC – 4

[Pursuant to Rule 3(3)]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT NEW DELHI

COMPANY PETITION NO. 21/2025

SBEC SYSTEMS (INDIA) LIMITED

PUBLICATION OF NOTICE

Notice may be taken that a petition was presented to the Tribunal at New Delhi Bench, on 10th day of February, 2025 for confirming the reduction of the share capital of the above company from INR 10,00,00,000 /- (Indian Rupees Ten Crores only) divided into 1,00,00,000 (One Crore) equity shares of INR 10/- each (Indian Rupees Ten) to INR 7,96,00,000 (Indian Rupees Seven Crores Ninety Six Lakh) consisting of 79,60,000 (Seventy Nine Lakh Sixty Thousand) equity shares of INR 10/- (Indian Rupees Ten) each.

The notices to individual creditors have been issued. The list of creditors prepared on December 15, 2024 by the Company is available at the registered office of the Company for inspection on all working days during 10 AM to 5 PM between Monday to Friday till May 19, 2025.

In pursuance of the Order dated February 10, 2025 issued by the Tribunal at New Delhi and as directed therein, if any creditor of the Company has any objection to the petition or the details in the list of creditors, the same may be sent along with supporting documents and details of his name and address, and name and address of his authorised representative, if any, to the undersigned, so as to reach the Company by the date fixed for the next hearing of the petition, i.e., May 19, 2025.

If no objection is received within the time stated above, entries in the list of creditors will, in all the proceedings under the above Petition to reduce the equity share capital of the petitioner company, be treated as correct.

It may also be noted that a hearing has been fixed for May 19, 2025 on which the Tribunal shall hear the Petition. In case any creditor intends to attend the hearing, he should make a request along with his objections, if any.

Dated this 14th day of February 2025 at New Delhi

Himani Mittal
Company Secretary of the Company

पर्यटकों ने कलाकारों के साथ जमकर नृत्य किया

नव वर्ष के बाद से ही पर्यटकों को था मेले का बेसब्री से इंतजार

सूरजकुंड मेला परिसर में शुक्रवार को पर्यटकों की भारी भीड़ रही। नववर्ष 2025 के बाद से ही देश भर के लोगों को इस भव्य मेले का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। मेला परिसर में जगह-जगह पर्यटकों ने विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति की छटा बिखेरते कलाकारों के साथ जमकर नृत्य किया। साथ ही कच्ची घोड़ी नृत्य का आनंद लिया। दिल्ली गेट से वीआइपी गेट तक और मुख्य चौपाल से फूड कोर्ट तक पर्यटकों की भीड़ ही दिखाई दे रही थी। मेले में भीड़ देखकर शिल्पियों के चेहरे खिले उठे। सभी स्टाल पर पर्यटक शिल्पियों से मोल-भाव करते हुए देखे गए। विभिन्न राज्यों के परिधानों, खेल के सामान और घर को सजाने से संबंधित स्टाल से पर्यटकों ने जमकर खरीदारी की। इसके अलावा फूड कोर्ट पर भी अच्छी खासी भीड़ रही। लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था।

आसाराम बापू आश्रम में मातृ-पितृ पूजन दिवस 16 को

फरीदाबाद। संत आसाराम बापू की प्रेरणा से हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही भिन्न-भिन्न स्कूलों में बच्चों को मातृ-पितृ पूजन दिवस के बारे में समझाया जाता है किस तरह से विधिवत मातृ पितृ पूजन किया जाता है।

पहली महिला प्रवक्ता होने का गौरव   राजनेताओं में से एक थी।

फॉर्म संख्या आरएससी–4
[नियम 3(3) के अनुसार]
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण पीठ के समक्ष
कंपनी याचिका संख्या 21/2025
एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड
नोटिस का प्रकाशन

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त कंपनी की शेयर पूंजी को 10,00,00,000/– (केवल भारतीय रुपये दस करोड़) 10/– रुपये (भारतीय रुपये दस) में विभाजित 1,00,00,000 (एक करोड़) इक्विटी शेयरों से घटाकर 7,96,00,000 (भारतीय रुपये सात करोड़ छियानबे लाख) रुपये करने की पुष्टि करने के लिए 10 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली बेंच में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 10/– रुपये (भारतीय रुपये दस) प्रत्येक के 79,60,000 (उनहत्तर लाख साठ हजार) इक्विटी शेयर शामिल हैं।

व्यक्तिगत लेनदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। कंपनी द्वारा 15 दिसंबर, 2024 को तैयार की गई ऋणदाताओं की सूची 19 मई, 2025 तक सोमवार से शुक्रवार के बीच सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है।

नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण द्वारा जारी दिनांक 10 फरवरी, 2025 के आदेश के अनुसरण में तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, यदि कंपनी के किसी ऋणदाता को याचिका अथवा ऋणदाताओं की सूची में दिए गए विवरण पर कोई आपत्ति है, तो उसे सहायक दस्तावेजों तथा अपने नाम और पते, तथा अपने अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, के विवरण के साथ नीचे हस्ताक्षरकर्ता को भेजा जा सकता है, ताकि याचिका की अगली सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि अर्थात 19 मई, 2025 तक कंपनी तक पहुंच जाए।

यदि ऊपर बताए गए समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी को कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के तहत सभी कार्यवाहियों में ऋणदाताओं की सूची में प्रविष्टियों को सही माना जाएगा।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 19 मई, 2025 को सुनवाई तय की गई है, जिस दिन न्यायाधिकरण याचिका पर सुनवाई करेगा। यदि कोई लेनदार सुनवाई में भाग लेना चाहता है, तो उसे अपनी आपत्तियों के साथ अनुरोध करना चाहिए, यदि कोई हो।

दिनांक 14 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में

हिमानी मित्तल
कंपनी की कंपनी सचिव

एसबीईसी शुगर लिमिटेड